न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 52/2023

उनवान

1. बनवारी पुत्र सोनानाथ
2. बोदूराम पुत्र सोनानाथ

जाति जोगी निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. कल्याणसहाय पुत्र सुगानाथ जाति जोगी निवासी जाजैंकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. कालूराम
4. फुलचन्द
5. सरदार मल
6. सीताराम
7. हनुमान सहाय

(3 से 7) पि0 गिरधारी

समस्त वयस्क, समस्त जाति–कुम्हार निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

8. सुरजमल पुत्र हनुमान सहाय जाति जोगी निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

9. कालूराम
10. राजेन्द्र

(9 व 10) पि0 रामू

जाति जोगी निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अप्रार्थीगण

<u>प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांकः 7/7/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1927 रकबा 0.15 है0, 1930 रकबा 0.11 है0, 1935 रकबा 0.22 है0, 1936 रकबा 0.59 है कुल किता 4 रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जाजैकलां तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/ 2023/ 07 दिनांक 26.4.2023 की पालना में दिनांक 8.5.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा व अन्य पटवारियों की टीम के द्वारा मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 8.5.2023 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अपनी भमि में मिलाना प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 2, 8 9, व 10 की ओर से श्री मदनलाल जाट अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रकरण में जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण ने झूठे मनगढन्त तथ्य पेश किये है यदि प्रार्थीगण की भूमि की के साथ अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1931, 1933, 1942, 1954, 1956, 1934, 1939, 1945, 1947, 1948, 1953, 1955, 1939/1, 1940, 1941, 1943, जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है की भी पत्थरगढी की जावे । शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे ।वकील अभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का व अन्य पटवारियों की टीम के द्वारा दिनांक 8.5.2023 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण की भूमि के साथ अप्रार्थीगण की भूमि का भी पत्थरगढी के आदेश पारित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 8.5.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण ने भी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है लेकिन अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान किया है या नहीं यह पेश नहीं किया है। इसलिए अप्रार्थीगण की भूमि की भी पत्थरगढी किये जाने के जवाब प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी हेतु विधिवत आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 1927 रकबा 0.15 है0, 1930 रकबा 0.11 है0, 1935 रकबा 0.22 है0, 1936 रकबा 0.59 है कुल किता 4 रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जाजैकलां तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 8.5.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 7/7/23 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान